आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/11/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 119/12** **राजेन्द्र प्रसाद यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2199 दिनांक 24.7.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह माननीय व्यवहार न्यायालय, छपरा में दाखिल विचारण सं0 1873/14 में पारित आदेश दिनांक 3.9.14 से संबंधित है। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 309/सी0 दिनांक 7.2.12 के आलोक में राजेन्द्र प्रसाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 43/07 पंचायत खजूरी, प्रखंड+थाना–मशरक से दिनांक 10.1.12 को जिला स्तरीय जॉच दल के द्वारा की गयी जॉच में पाई गयी अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। जॉच दल के द्वारा पाई गयी अनियमितता निम्नवत् थी, 1. दुकान बंद थी। 2. लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं थी। 3. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं था। उक्त, संबंध में विक्रेता के द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मशरक के पत्रांक 65 दिनांक 20.7.12 के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश के आलोक में 10.1.12 को उक्त विक्रेता की दुकान पर पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ छापामारी की गयी। इन्हें देखकर विक्रेता कहीं छिप गए तथा परिवार के लोगों के द्वारा भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। सूचनापट्ट पर अंकित विवरणी एवं भंडार में भंडारित सामग्री में अंतर पाया गया, जिससे सभी सामग्री को गवाहों की उपस्थिति में जप्त करके मशरक थाना में धारा–7ईसी के तहत प्राथमिकी संख्या 10/12 दिनांक 10.1.12 दर्ज किया गया एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित किया गया।	

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के आचरण को अनुज्ञप्ति में अंकित शर्त्तों के सर्वथा विपरित पाते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गयी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता के द्वारा विगत 15 वर्षों से अपनी दुकान का संचालन किया जा रहा है एवं इस अवधि में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत किसी उपभोक्ता के द्वारा नहीं की गयी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मशरक के द्वारा दिनांक 10.1.12 को अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश के आलोक में छापामारी की गयी एवं स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के दबाव में आकर जॉच की कार्रवाई तथा प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गयी। वास्तव में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता सूचना पट्ट पर अंकित विवरणी एवं गोदाम में भंडारित सामग्री में नहीं पायी गयी। विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा विचारण सं0 1873/2014 में दिनांक 3.9.14 को आदेश पारित किया गया कि अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद को 7ईसी के तहत दोषी नहीं पाया जाता है एवं उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा विचारण सं0 1873/2014 में पारित आदेश दिनांक 3.9.14 के द्वारा विक्रेता के विरूद्व लगाए गए आरोपों को सही नहीं पाया गया एवं उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के प्रश्नगत आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस तरह अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1036 दिनांक 17/12/14

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
प्रभारी जिला विधि शाखा, सारण